:: औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय, भीलवाड़ा ::

पीठासीन अधिकारी :**श्री पंकज बंसल, आर.जे.एस.**(जिला न्यायाधीश संवर्ग) .
प्रकरण संख्या : 02 सन् 2020 आई.टी.आर
श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री विट्ठल गोपाल त्रिपाठी,
द्वारा–अध्यक्ष,श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल कर्मचारी संघ, .
इंटक,मंडफिया,तह0–भदेसर, जिला–चितौडगढ।

..प्रार्थी

: बनाम :

1.मुख्य कार्यपालक अधिकारी,श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल, .
. मंडफिया,तह0–भदेसर,जिला–चितौडगढ।

2.ह्यूमन रिसोर्स एसोसिएट्स,जरिये–श्री दीपसिंह राणावत, .
. ए–265, हिरण मगरी सेक्टर नं0 14, उदयपुर।

3.राजस्थान सरकार, जरिए–जिला कलेक्टर,चितौडगढ।

..विपक्षीगण

उपस्थित :

1. श्रीमती वंदना चोखडा,अधिवक्ता–प्रार्थी की ओर से। .
2. श्री शंकरपुरी गोस्वामी,श्री लोकेश कुमार शर्मा,अधिवक्ता–विपक्षी सं0 एक की ओर से।
3. विपक्षी सं0 2 व 3 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही।

:: पंचाट ::

दिनांक : 18.06.2026

प्रार्थी की ओर से अपना औद्योगिक विवाद निस्तारण हेतु समझौता अधिकारी,चितौडगढ के समक्ष पेश किया गया, जहां समझौता नहीं होने के कारण अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया गया। राज्य सरकार की अधिसूचना संख्याः एफ.1(1)(188)/श्र.नि./2016 दिनांक 30.07.2020 के द्वारा अग्रलिखित विवाद इस न्यायाधिकरण को अधिनिर्णयार्थ प्रेषित किया गयाः–

'क्या श्रमिक श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री विट्ठल गोपाल त्रिपाठी, धर्मशाला लेखक (जिसका विवाद अध्यक्ष, श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल कर्मचारी संघ, इंटक,मंडफिया, तह0–भदेसर,जिला चितौडगढ द्वारा उठाया गया है) को नियोजक सं0 (1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी,सांवलिया जी मंदिर मंडल बोर्ड, मंडफिया श्री सांवलिया जी मंदिर, मंडफिया, चितौडगढ (2) ह्यूमन रिसोर्स एसोसिएट्स, जरिए–दीपसिंह राणावत, ए–265, हिरणमगरी, सेक्टर नं0 14, उदयपुर–313002 (3) राजस्थान सरकार, जरिए–जिला कलेक्टर, चितौडगढ द्वारा पर्याप्त समय उपरांत भी स्थाई घोषित नहीं किया जाना उचित एवं वैध है? यदि नहीं, तो श्रमिक किस राहत को पाने का हकदार हैं?

उपरोक्तानुसार विवाद प्राप्त होने पर पक्षकारों को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

प्रार्थी की ओर से क्लेम प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया गया कि वह दिनांक 07.08.2000 से धर्मशाला लेखक के पद पर विपक्षी सं0 एक के यहां कार्यरत है तथा उसे 1500/– रू मासिक वेतन पर नियोजित किया गया था तत्पश्चात प्रार्थी का वेतन समय समय पर बढाया जाकर वर्तमान में प्रार्थी का वेतन 11,400/–रूपये प्रतिमाह है जिसमें प्रार्थी के वेतन से विपक्षी संख्या 01 द्वारा नियमानुसार पी.एफ. की कटौती एवं ई.एस.आई की कटौती भी की जा रही है एवं वर्तमान में प्रार्थी मुख्य मंदिर में सहायक केशियर के पद पर काार्यरत है। क्लेम प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने यह भी अंकित किया कि प्रार्थी नियुक्ति वर्ष 07.08.2000 से नियमित व निरंतर रूप से विपक्षी संख्या 01 के यहा पर ड्युटी पर उपस्थित होकर समस्त कार्य का नियंत्रण व पर्यवेक्षण विपक्षी संख्या 01 मंदिर मंडल के नियंत्रण में कर रहा है एवं विपक्षी संख्या 01 पर राजस्थान सेवा नियम के प्रावधान लागू होते है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में 07.08.2000 से धर्मशाला लेखक के पद पर व उसके बाद नन्द निकेतन धर्मशाला में लेखाकार के पद पर व गोकुल विश्रांति गृह में इंचार्ज के पद पर कार्य करते हुए वर्तमान में सहायक कैशियर के पद पर कार्यरत होना और सेवाएं 02 वर्ष से अधिक होने के कारण एवं प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 240 दिन से अधिक कार्य दिवसों पर अपनी ड्यूटी देने के कारण धारा 25 बी औ0वि0अधि0 के अंतर्गत विपक्षी संख्या 01 के अधिन नियमित नियोजन होने के कारण उक्त अधिनियम के समस्त प्रावधानों के संरक्षण का अधिकारी होना कहा है। प्रार्थना पत्र में यह भी वर्णित है कि प्रार्थी नियमित एवं संतोषप्रद सेवा करने के उपरांत सांवलिया जी मंदिर अधिनियम 193 के तहत स्थाई वेतनमान व स्थाई करण एवं समस्त लाभ परिलाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।प्रार्थी ने अपना वेतन भुगतान प्रतिमाह विपक्षी संख्या 01 द्वारा सीधे बैंक खाते में करना व किसी भी ठेकेदार, प्लेसमेन्ट ऐजेन्सी द्वारा कार्य पर नही लगाना अंकित किया है और प्रार्थी का स्थानान्तरण भी समय समय पर विपक्षी संख्या 01 द्वारा करना अंकित करते हुए प्रार्थी व विपक्षी के मध्य नियोजक व कामगार के संबंध होना और बावजूद नोटिस प्रार्थी को नियमित पद पर नियमित वेतन श्रृंखला का लाभ नही देना और उससे कनिष्ठ श्रमिकों को विपक्षी द्वारा नियमित कर दिया जाना कहा है एवं प्रार्थी ने नियुक्ति तिथि से धर्मशाला लेखाकार के पद का वेतनमान व अन्य लाभ–परिलाभ दिलाने की प्रार्थना की।

विपक्षी सं0 एक की ओर से क्लेम प्रार्थनापत्र का जवाब पेश कर जाहिर किया गया कि प्रार्थी को उनके द्वारा नियुक्त नहीं किया गया तथा वह उनका कार्मिक नहीं है। प्रार्थी कभी भी मंदिर मंडल का नियमित नियुक्त कर्मचारी नही रहा ना ही उसकी नियुक्ति किसी वैधानिक प्रक्रिया अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई है। प्रार्थी की सेवाएं मंदिर मंडल द्वारा सीधे नही ली जाती है बल्कि उसकी सेवा संबंध आपूर्ति ऐजेन्सी यूनिकार्न ह्यूमन पॉवर लिमिटेड के साथ है न की मंदिर मंडल के साथ है एवं वेतन भी विपक्षी संख्या

02 द्वारा दिया जाता है, प्रार्थी को मंदिर मंडल द्वारा कभी कोई वेतन भत्ता या सेवालाभ प्रदान ही किया गया ना ही भुगतान किया गया है। वह केवल आपूर्ति ऐजेन्सी के माध्यम से हुआ है। प्रार्थी ने कोई नियुक्ति आदेश या पुष्टि आदेश पेश नही किया है। प्रार्थी मंदिर मंडल का नियमित कर्मचारी न होकर आपूर्ति ऐजेन्सी के माध्यम से सेवाऐं दे रहा है एवं उसका वेतन भी मंदिर मंडल ऐजेन्सी के माध्यम से ही उसके खाते मे भेजता है। मंदिर मंडल से प्रार्थी का कामगार एवं नियोक्ता का संबंध नही है एवं विपक्षी संख्या 01 को गलत पक्षकार बनाया है। अतः वह उत्तरदाता के विरूद्ध वाद पेश नहीं कर सकता है। क्लेम प्रार्थनापत्र निरस्त करने की प्रार्थना की।

विपक्षीगण सं0 दो व तीन की ओर से बावजूद तामील किसी के हाजिर नहीं आने पर उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

प्रार्थी की ओर से साक्ष्य में ए ड 1 जितेन्द्र कुमार त्रिपाठी के शपथ पत्र पर बयान दर्ज करवाये गये।

विपक्षी सं0 एक की ओर से साक्ष्य में एन ए ड 1 शिव शंकर पारीक के शपथपत्र. पर बयान दर्ज करवाये गये।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। विपक्षी संख्या 01 ने लिखित बहस भी पेश की।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस तर्क रहा है कि प्रार्थी विपक्षी संख्या 01 के यहां 10 वर्ष से भी अधिक समय से लगातार कार्य कर रहा है एवं स्वयं विपक्षी संख्या 01 के गवाह श्री षिव शंकर पारीक ने भी अपने बयानों में प्रार्थी का 10 वर्ष से अधिक समय से मंदिर मंडल में कार्य करना स्वीकार किया है। उनका यह भी तर्क है कि विपक्षी संख्या 01 द्वारा प्रार्थी का ऐजेन्सी के माध्यम से संविदा पर कार्य करना बताते हुए श्रमिक नियोजक का संबंध होने से इंकार किया है परंतु इस संबंध में ऐसी कोई दस्तावेज साक्ष्य पेष नही की है जिससे यह जाहिर हो कि मंदिर मंडल द्वारा कोई निविदा जारी कर ऐजेन्सी के माध्यम से प्रार्थी की सेवाए ली गई हो या किसी ऐजेन्सी को इस संबंध में कोई कार्यादेष जारी किया गया हो जिस कारण साक्ष्य के अभाव में यह नही माना जा सकता कि प्रार्थी ऐजेन्सी द्वारा संविदा पर कार्यरत है उनका यह भी तर्क है कि विपक्षी संख्या 01 मंदिर मंडल ने प्रार्थी का वेतन भी ऐजेन्सी के माध्यम से करना कहा है परंतु इस संबंध मे भी कोई दस्तावेज पेश नही किया है कि मंदिर मंडल द्वारा प्रतिमाह प्रार्थी का वेतन ऐजेन्सी को ट्रांसफर किया जाता हो एवं ऐजेन्सी द्वारा प्रार्थी के खाते में डाला जाता हो। जिस कारण विपक्षी संख्या 01 के कथन साक्ष्य द्वारा समर्थित नही होने से मानने योग्य नही है जबकि प्रार्थी ने मंदिर मंडल में गोकुल विश्रांति गृह में कार्यरत रहते हुए मंदिर मंडल को सामग्री के संबंध में एवं धर्मशाला में व्यवस्थाओं के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों की प्रतियां पेष की है जिनमें प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर विपक्षी की ओर से पृष्टांकन है जिससे प्रार्थी का मंदिर मंडल के सीधे नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करना प्रमाणित होता है। उनका यह भी तर्क

है कि प्रार्थी ने 240 दिन से अधिक समय तक एक कैलेण्डर वर्ष में कार्य करना प्रमाणित किया है जबकि इसके खण्डन में विपक्षी द्वारा कोई साक्ष्य पेष नही की गई है। जिस कारण प्रार्थी नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः उन्होने क्लेम प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को नियमित वेतन श्रृंखला दिलाये जाने की प्रार्थना की एवं अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत एवं विधि पेष की–

01. श्री सांवलिया जी मंदिर अधिनियम–1992

02. एस.बी.सिविल रिट पिटिषन नम्बर–11417/2025 चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री सांवलिया जी मंदिर बनाम चतर सिंह व अन्य आदेष दिनांक 14.07.2025

03. एस.बी.सिविल रिट पिटिषन नम्बर–4655/2005 श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल बनाम श्याम सिंह व अन्य आदेष दिनांक 02.09.2005

04. एसएलपी(सी) संख्या 5580/2024–जगगो बनाम भारत संघ, 2024 INSC 1034

विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01 ने इन तर्को का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी कभी भी मंदिर मंडल के नियमित नियुक्त कर्मचारी नही रहा है तथा न ही उसकी नियुक्ति किसी वैधानिक प्रक्रिया अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई है, मंदिर मंडल में सेवा नियुक्ति के लिये नियमित प्रक्रिया निर्धारित है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी की सेवाएं मंदिर मंडल द्वारा सीधे नही ली जाकर आपूर्ति ऐजेन्सी के माध्यम से ली जाती है। जिस कारण प्रार्थी का सेवा संबंध विपक्षी संख्या 01 के साथ न होकर आपूर्ति ऐजेन्सी के साथ है एवं जब तक कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त न किया गया हो और उसके नियुक्ति पत्र, सेवाभिलेख, वेतन भुगतान के प्रमाण मंदिर मंडल से संबंधित नही हो तब तक उसे नियमित कर्मचारी नही माना जा सकता है एवं प्रार्थी ने मंदिर मंडल की ओर से जारी नियुक्ति पत्र या मंदिर मंडल द्वारा सीधे ही उनके वेतन भुगतान के संबंध में कोई साक्ष्य पेष नही की है एवं संविदा या दैनिक वेतन पर कार्यरत व्यक्ति को नियमित नियुक्ति का अधिकार तभी है जब उसकी नियुक्ति विधिवत चयन प्रक्रिया से की गई हो और पद स्वीकृत एवं रिक्त हो परंतु ऐसी कोई साक्ष्य प्रार्थीगण ने पेश नही की है। उनका यह भी तर्क है कि मंदिर मंडल किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करने व नियमित करने का अधिकार नही रखता है बल्कि इसके लिये सरकार की स्वीकृति आवश्यक है।अतः उक्त तर्को के आधार पर उन्होनें क्लेम प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया गया पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत विधि व न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन कर मार्गदर्षन प्राप्त किया गया ।

हमारे सामने विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या प्रार्थी को अप्रार्थीगण द्वारा नियमित नहीं किया जाना एवं देय हितलाभ नहीं दिया जाना उचित व वैध है?

उपरोक्त विचारणीय बिन्दु का निस्तारण करने से पूर्व सर्व प्रथम यह देखना है कि क्या प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 एक के मध्य श्रमिक–नियोजक के संबंध हैं तथा प्रार्थी किस अप्रार्थी के नियंत्रण में कार्य करता चला आ रहा है तथा क्या प्रार्थी ने उनके अधीन 240 दिवसों से अधिक दिवसों तक कार्य किया है?

जहां तक श्रमिक व नियोजक के संबंध का प्रश्न है, इस संबंध में अपने अभिवचनों में प्रार्थी ने उल्लेख किया है कि वह अपनी नियुक्ति तिथि 07.08.2000 से ही विपक्षी सं0 एक के अधीन निरंतर व नियमित रूप से कार्य कर रहा है। अपने अभिवचनों में उसने यह भी बताया है कि उसने विपक्षी सं0 एक के आदेशानुसार ही कार्य किया है। प्रार्थी के उक्त अभिवचनों के खंडन में विपक्षी सं0 एक ने अपने जवाब में यह कहा है कि वह उनके द्वारा नियुक्त कार्मिक नहीं है तथा उसने सेवाप्रदाता ऐजेन्सी के अधीन कार्य किया है तो सेवा प्रदाता ऐजेन्सी से ही लाभ प्राप्त कर सकता है। प्रार्थी ने साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत अपने शपथपत्र में भी क्लेम प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कहा है कि वह विपक्षी सं0 एक के यहां दिनांक 07.08.2000 से अब तक कार्य का निष्पादन करता चला आ रहा है। जिरह में प्रार्थी का कहना है कि उसके पास सांवलिया जी मंदिर मंडल का कोई नियुक्तिपत्र नहीं है तथा जिरह के दौरान उसने इस तथ्य को सही होना कहा है कि विपक्षी सं. 2 हमारे खाते में वेतन डालता है लेकिन उसने बैंक स्टेटमेन्ट पत्रावली में पेश करने से इंकार किया है। प्रार्थी, जिरह में विपक्षी मंदिर मंडल का नियुक्तिपत्र नहीं होना स्वीकार करता है तथा उसने वेतन विपक्षी सं0 दो के द्वारा अदा करना भी स्वीकार किया है। गौरतलब है कि विपक्षी सं0 1 के गवाह एन ए ड 1 शिव शंकर पारीक ने अपनी जिरह में प्रार्थी द्वारा मंदिर मंडल में सेवाएं देना स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। विपक्षी गवाह एन ए डब्ल्यू 01 शिव शंकर पारीक द्वारा प्रार्थी के उक्त पद पर कार्य करने से इनकार नही किया गया है अपितु यह कहा गया है कि प्रार्थी सेवाप्रदाता कम्पनी विपक्षी संख्या 02 हयूमन रिसोर्स एसोसिएटस के कार्मिक हैं और संविदा के तौर पर सेवा प्रदाता कम्पनी टाईगर 4 इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के मार्फत सांवलिया जी मंदिर मंडल में संविदा के तौर पर कार्य कर रहा है। उक्त विपक्षी गवाह शिव शंकर पारीक ने यह स्वीकार किया है कि प्रार्थी मंदिर मंडल के अंदर काम करता है और यह कहना सही है कि प्रार्थी पिछले 10 वर्ष से मंदिर मंडल में कार्य कर रहा है। उक्त गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि संविदा कर्मचारियों को एक स्थान से दुसरे स्थान पर भेजे जाने बाबत आदेश मंदिर मंडल द्वारा ही जारी किये जाते है। उक्त गवाह ने प्रार्थी का मंदिर मंडल में लम्बे समय से कार्यरत होना जिसकी जानकारी उसे होना कहा है, परंतु साथ ही यह भी कहा है कि प्रार्थी संवेदक के मार्फत

कार्यरत है। उक्त गवाह ने मंदिर मंडल में 400 के करीब पद होना जिन पर संवेदक के मार्फत श्रमिक कार्यरत होना कहा है।

प्रार्थी ने साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत अपने शपथपत्र में क्लेम प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कहा है कि वह विपक्षीगण के सीधे नियंत्रण व पर्यवेक्षण में अपनी अपनी नियुक्ति दिनांक 07.08.2000 से अब तक कार्य का निष्पादन करता चला आ रहा है एवं वर्तमान में मुख्य मंदिर में सहायक कैशियर के पद पर कार्यरत है। जिरह में प्रार्थी ने यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा मंदिर मंडल की धर्मशाला में धर्मशाला लेखक के पद पर नियुक्ति का कोई लिखित आदेश पेश नही किया है। प्रार्थी ने यह भी स्वीकार किया है कि दस्तावेजात प्रदर्श 1 लगायत 21 में ए से बी स्थान पर गोकुल विश्रान्ति गृह में प्रबधंक की हैसियत से हस्ताक्षर किये हैं, मेरे पास प्रबधंक पद का कोई नियुक्ति पत्र नहीं है परन्तु इस संबंध में विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करें तो इस संबंध में विपक्षीगण के गवाह एन. ए. ड. 1 शिव शंकर पारीक ने अपनी साक्ष्य के दौरान प्रार्थी को किये जा रहे वेतन भुगतान के संबंध में व उसके सेवा प्रदाता ऐजेन्सी के अधीन कार्यरत होने के संबंध में लेशमात्र भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है जिससे यह जाहिर हो कि मंदिर मंडल द्वारा प्रार्थी के वेतन का भुगतान विपक्षी संख्या–02 हयूमन रिसोर्स एसोसिएट को किया जाता हो अपितु स्वयं विपक्षी गवाह एन ए ड 1 ने अपनी जिरह में प्रार्थी द्वारा उनके यहां 10 वर्ष से अधिक कार्य करना स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है, लेकिन प्रार्थी को संविदा पर नियोजित करने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। विपक्षी के इस गवाह ने कर्मचारियों को वेतन मंदिर मंडल द्वारा नहीं देना व सेवाप्रदाता ऐजेन्सी द्वारा वेतन देना तो कहा है, लेकिन इस गवाह ने अपनी साक्ष्य के दौरान प्रार्थी को किये जा रहे वेतन भुगतान के संबंध में व उसके सेवाप्रदाता ऐजेन्सी के द्वारा भुगतान करने के संबंध में लेशमात्र भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है। मेरे मत में यदि प्रार्थी को वेतन सेवाप्रदाता ऐजेन्सी द्वारा वेतन अदा किया जा रहा था तो इस संबंध में विपक्षी द्वारा आवश्यक दस्तावेजात प्रस्तुत कर इस तथ्य को आसानी से साबित करवाया जा सकता था, लेकिन विपक्षी द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। अतः इस संबंध में विपक्षी के द्वारा किये जा रहे कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं।

इस संबंध में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करें तो प्रार्थी की ओर से उसके द्वारा विपक्षी को लिखे गये पत्र प्रदर्श 1 लगायत 21 पेश किये गये है, जिन दस्तावेजात में प्रार्थी ने विपक्षी मंदिर मंडल को गोकुल विश्रान्ति गृह में प्रभारी व प्रबंधक की हैसियत से हस्ताक्षर किये हैं जिनमें विभिन्न कार्यों हेतु विपक्षी को पत्र लिखे गये हैं जिन पर विपक्षी की ओर से भी पृष्ठांकन है जिन दस्तावेजो के संबंध में ए डब्ल्यू–1 जितेन्द्र कुमार त्रिपाठी से इस बाबत कोई जिरह नही की गई है कि उक्त दस्तावेजों में वर्णित प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से विपक्षी मंदिर मंडल को ना लिखे गये हो अथवा गोकुल विश्रान्ति गृह विपक्षी मंदिर मंडल का भाग नही हो। इस संबंध मे ंविद्वान

अधिवक्ता विपक्षी का दोराने बहस यह तर्क रहा है कि प्रार्थी ने अपनी जिरह में गोकुल विश्रान्ति गृह के प्रबंधक पद के संबंध में कोई नियुक्ति पत्र या 240 दिवस कार्य करने के संबंध में कोई हाजरी का रजिस्टर पेश नही किया है परन्तु यह तर्क मानने योग्य नही है क्योंकि प्रार्थी ने अपनी जिरह में इस बारे में स्पष्ट कहा है कि हाजरी रजिस्टर मंदिर के कब्जे में है, इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि स्वयं विपक्षी मंदिर मंडल ने प्रार्थी के मंदिर मंडल में कार्य करने से इंकार नही किया है बल्कि उसका सेवा प्रदाता ऐजेन्सी के माध्यम से संविदा पर कार्य करना कहा है एवं स्वयं विपक्षी गवाह एन ए डब्ल्यू 01 श्री शिव शंकर पारीक ने भी यह स्वीकार किया है कि प्रार्थी पिछले 10 वर्ष से मंदिर मंडल में कार्य कर रहा है एवं यह भी स्वीकार किया है कि प्रार्थी मंदिर मंडल में लम्बे समय से कार्यरत है जिसकी मुझे जानकारी है तो ऐसी स्थिति में स्वयं विपक्षी द्वारा प्रार्थी का मंदिर मंडल में लम्बे समय से कार्यरत होने के संबंध में स्वीकारोक्ति के पश्चात प्रार्थी को यह साबित करने की आवश्यकता नही है कि वह 240 दिन से अधिक मंदिर मंडल में कार्य कर चुका हो अपितु विपक्षी द्वारा प्रार्थी का ऐजेन्सी के माध्यम से संविदा पर कार्य करना कहा है तो यह तथ्य साबित करने का भार विपक्षी पर था जिस के सबंध में उसके ओर से कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे यह जाहिर हो कि विपक्षी मंदिर मंडल द्वारा प्रार्थी का वेतन ऐजेन्सी को दिया जाता हो और ऐजेन्सी द्वारा प्रार्थी को दिया जाता हो।

वकील विपक्षी ने बहस के दौरान प्रार्थी द्वारा साक्ष्य के दौरान अपनी जिरह में विपक्षी संख्या 02 द्वारा अपने खाते में वेतन डालने की स्वीकारोक्ति के आधार पर यह तर्क दिया है कि प्रार्थी उसका श्रमिक नहीं होकर सेवाप्रदाता ऐजेन्सी का श्रमिक है परंतु विपक्षी सं0 एक के गवाह एन ए ड 1 शिव शंकर पारीक ने अपने मुख्य परीक्षण स्वरूप प्रस्तुत शपथपत्र में प्रार्थीगण के यूनिकान ह्यूमन पावर लि.,के श्रमिक होने का अंकन तो किया है, लेकिन इस संबंध में लेशमात्र भी दस्तावेजी साक्ष्य उनके द्वारा पेश नहीं की गई है और न किसी ऐजेन्सी को श्रमिक उपलब्ध करवाने के संबंध में दिये गये कार्यादेश की प्रति ही पेश की गई है। यहां तक कि विपक्षी की ओर से सेवाप्रदाता ऐजेन्सी द्वारा विपक्षी को प्रार्थी की सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई पत्र या कार्यालय आदेश जारी किया हो, ऐसा भी कोई दस्तावेज साक्ष्य में प्रस्तुत नही किया है ना ही सेवाप्रदाता ऐजेन्सी को प्रार्थी का वेतन विपक्षी द्वारा अंतरित किया गया हो या खाते में डाला गया हो, ऐसा भी कोई दस्तावेज पेश नही किया है। ऐसी स्थिति में मेरे विनम्र मत में विपक्षी के द्वारा अपने जवाब व अपने साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत शपथपत्र में प्रार्थी का संविदा श्रमिक होने का अंकन कर देना मात्र ही पर्याप्त नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में विपक्षीगण के द्वारा किसी सेवाप्रदाता ऐजेन्सी को श्रमिक उपलब्ध करवाने के लिए निर्देशित करना और उसके द्वारा प्रार्थी को उपलब्ध करवाना साबित नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में मेरे विनम्र मत में विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत गवाह द्वारा मात्र अपने शपथपत्र में यह कह देने से कि वह विपक्षी का श्रमिक नहीं होकर किसी सेवाप्रदाता ऐजेन्सी का श्रमिक है, को सत्य एवं विश्वसनीय नहीं माना जा

सकता है जब तक कि विपक्षी द्वारा इस संबंध में साक्ष्य पेश नही की जाती है कि प्रार्थी को सेवा प्रदाता ऐजेंसी द्वारा मंदिर मंडल को उपलब्ध कराया गया था एवं कार्यादेश जारी किया गया था परंतु ऐसा कोई दस्तावेज विपक्षी द्वारा पेश नही किया गया है। उक्त विवेचन के आधार पर विपक्षीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के मुकाबले में विश्वसनीय नहीं पाई जाती है। अतः साक्ष्य के दौरान प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से यह इंगित होता है कि प्रार्थी पर विपक्षीगण का सीधा नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण था एवं प्रार्थी द्वारा गोकुल विश्रान्ति गृह के प्रबंधक के रूप में कार्य हेतु भी मंदिर मंडल सीधे ही लिखा जाता था और विपक्षी मंदिर मंडल द्वारा उन कार्यो हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये जाते थे। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रार्थी व विपक्षीगण के मध्य श्रमिक– नियोजक का संबंध है।

अब हमें यह देखना है कि क्या प्रार्थी 240 दिवसों से अधिक दिवसों तक विपक्षीगण के नियंत्रण व पर्यवेक्षण में कार्य कर रहा है?

इस संबंध में प्रार्थी ने बताया है कि वह दिनांक 07.08.2000 से नियमित रूप से विपक्षी सं0 एक के यहां कार्यरत है तथा उसने साक्ष्य के दौरान इस संबंध में विपक्षी द्वारा जारी दस्तावेजात प्रस्तुत किये हैं, जिनसे भी प्रार्थी की ड्यूटी व उसकी उपस्थिति जाहिर होती है। प्रार्थी का अपने क्लेम प्रार्थनापत्र में यह स्पष्ट अभिवचन रहा है कि उसने विपक्षीगण के यहां सर्वप्रथम दिनांक 07.08.2000 से कार्य करना प्रारंभ किया, जिस तथ्य का कोई खंडन विपक्षी सं0 एक की ओर से अपने जवाब में नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी ने अपने साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत शपथपत्र में भी विपक्षी सं0 एक के यहां सर्वप्रथम दिनाक 07.08.2000 से धर्मशाला लेखक के पद पर सांवलिया मंदिर मंडल मण्डफिया में 1500/–रूप मासिक वेतन पर नियोजित करना और वर्तमान में प्रार्थी का वेतन 11,400/–रूपये प्रतिमाह होना व प्रार्थी के वेतन से विपक्षी संख्या 01 द्वारा नियमानुसार पी.एफ. की कटौती एवं ई.एस.आई की कटौती भी होना कहा है और यह भी कहा कि वर्तमान में प्रार्थी मुख्य मंदिर में सहायक केशियर के पद पर कार्यरत है जिन तथ्यों के संबंध में प्रार्थी गवाह ए डब्ल्यू 01 जितेन्द्र कुमार त्रिपाठी से विपक्षी की ओर से ऐसी कोई जिरह नही की गई है जिससे यह जाहिर हो कि वह दिनांक 07.08.2000 से मंदिर मंडल में कार्यरत न हो या शपथ पत्र में वर्णित पद पर कार्यरत न होकर किसी अन्य पद पर कार्यरत हो ना ही इसके खंडन में कोई दस्तावेज विपक्षी संख्या 01 द्वारा पेश किया गया है जबकि प्रार्थी ने अपने साक्ष्य शपथ पत्र में भी प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 240 दिन से अधिक कार्य करना कहा है परंतु इसके खंडन में मंदिर मंडल का कोई हाजरी रजिस्टर या अन्य दस्तावेज विपक्षी की ओर से पेश नही हुआ है जिससे यह जाहिर हो कि प्रार्थी प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 240 दिन से कम उपस्थित रहा हो अपितु स्वयं विपक्षी गवाह एन ए ड 1 शिव शंकर का भी अपने साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत शपथपत्र में ऐसा कथन नहीं है कि प्रार्थी ने उनके यहां सर्वप्रथम दिनांक 07.08.2000 से कार्य करना प्रारंभ नहीं किया हो, विपक्षी गवाह

ने केवल मात्र प्रार्थी के सेवाप्रदाता कम्पनी द्वारा विपक्षी के यहा कार्य करने का कथन अपने साक्ष्य के शपथ पत्र में किया है, लेकिन प्रार्थी के सेवाप्रदाता कम्पनी के जरिये कार्य करने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य विपक्षी संख्या 01 द्वारा पत्रावली में पेश नही किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की ओर से इस संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य अखंडित रही है तथा उस पर अविश्वास करने का कोई कारण मेरे समक्ष नहीं है। उपरोक्त साक्ष्य के अवलोकन एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी दिनांक 07.08.2000 से नियमित रूप से विपक्षी सं0 एक के यहां कार्य कर रहा है तथा उसने विपक्षी सं0 एक के अधीन प्रत्येक कलैण्डर वर्ष में 240 दिवसों से अधिक दिवसों तक कार्य किया है।

इस के अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने विपक्षी श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल से सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त श्री सांवलिया जी मंदिर अधिनियम 1992, की प्रति पेश की है जिसके भाग–4–भर्ती हेतु प्रक्रिया के नियम 12 में बोर्ड को यह अधिकार दिया गया है कि वो ऐसे कार्यरत कर्मचारियों, जिन्होनें 240 दिन तक लगातार सेवा पूरी कर ली हो और जिनका पिछला सेवा रिकार्ड संतोषप्रद हो एवं वे अन्यथा नियुक्ति के पात्र हो, की नियमित वेतन श्रृंखला में नियुक्ति कर सकता है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01 का दोराने बहस यह तर्क रहा है कि मंदिर मंडल में पद रिक्त नही होने के कारण प्रार्थी को नियमित किया जाना संबंध नही है परंतु इस संबंध में यह स्पष्ट है कि स्वयं विपक्षी गवाह एन. ए. डब्ल्यू.–01 शिव शंकर पारीक ने मंदिर मंडल में 400 के करीब पद होना जिन पर संवेदक के मार्फत श्रमिक कार्यरत होना कहा है परंतु इस बारे मे कोई कथन नही कहे हैं कि उक्त 400 पद किस किस पदनाम से है ना ही यह कहा है कि उक्त पदो में कितने पद भरे हुए है तथा कितने पद रिक्त है। यहां तक कि इस बाबत भी कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है कि विपक्षी मंदिर मंडल में जिस पद पर प्रार्थी कार्य कर रहा है वह पद सम्पूर्ण रूप से भरे हुए हो और कोई पद रिक्त न हो, अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में विपक्षी संख्या 01 का उक्त तर्क मानने योग्य नही है कि मंदिर मंडल मे प्रार्थी के पदनाम का पद खाली न हो। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में भी प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यह पाया गया है कि प्रार्थी 240 दिन से अधिक लगातार सेवा पूरी कर चुका है एवं उसका पिछला सेवा रिकार्ड संतोषप्रद न हो ऐसी कोई साक्ष्य विपक्षीगण की ओर से न तो पेश की गई है न ही अभिवचन कहे गये है तो ऐसी स्थिति में बोर्ड को ऐसे कर्मचारियों को उपरोक्त वर्णित नियम अनुसार नियमित वेतन श्रृंखला में नियुक्ति का अधिकार है।

साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में इसी प्रकार के मामले चतर सिंह टेलर बनाम मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल में भी विपक्षीगण द्वारा संबंधित प्रार्थी के संविदा पर ऐजेन्सी के जरिये मंदिर मंडल में कार्यरत होने बाबत आपत्ति ली गई थी परंतु इस बाबत कोई साक्ष्य पेश नही करने पर इस न्यायाधिकरण के आदेश व पंचाट तारीख 11.11. 2024 द्वारा रेफरेन्स प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया गया था जिसके विरूद्ध

विपक्षी श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल बोर्ड द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में सिविल रिट पिटिशन पेश की गई जिस एस.बी.सिविल रिट पिटिशन नम्बर–11417/2025 चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल बोर्ड,मण्डफिया बनाम चतर सिंह टेलर व अन्य में अपने आदेश दिनांक 14.07.2025 द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने विपक्षी श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल बोर्ड की रिट याचिका खारिज करते हुए यह कहा है कि :–

A perusal of the findings recorded by the learned Labour Court clearly shows that the respondent No.1 has worked in the petitioner-Temple since 01.10.1996 without any break on regular basis and, therefore, there was employer-employee relationship between the petitioner-Temple and the respondent No.1. Since the learned Labour Court, on the basis of the evidence adduced before it, has clearly come to the conclusion that for the perennial nature of work, which is available in the petitioner-Temple, the respondent No.1 has served the petitioner-Temple since 01.10.1996, therefore, no infirmity has been committed by the learned Labour Court while allowing the claim petition of the respondent No.1.

अर्थात माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय नें समान मामले में इस न्यायाधिकरण के पंचाट को पुष्ट करते हुए प्रार्थी व मंदिर मंडल के मध्य नियोजक व नियोक्ता के संबंध मानते हुए इस न्यायालय के पंचाट को सही माना जिस मामले में भी हयूमन रिसोर्स एसोसिएटस भी पक्षकार थी एवं उक्त प्रकरण के तथ्य भी समान हैं। अतः उपरोक्त विवेचन को देखते हुए प्रार्थी यह साबित करने में सफल रहा हैं कि उसके व विपक्षीगण के मध्य श्रमिक–नियोजक के संबंध हैं तथा वह दिनांक 07.08.2000 से लगातार विपक्षी सं0 एक के नियंत्रण व पर्यवेक्षण में कार्य कर रहा है। अतः प्रार्थी वांछित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः राज्य सरकार द्वारा प्रेषित विवाद का उत्तर इस प्रकार दिया जाता है कि–

श्रमिक श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री विट्ठल गोपाल त्रिपाठी,द्वारा–अध्यक्ष,श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल कर्मचारी संघ,इंटक,मंडफिया, तह0–भदेसर, जिला–चितौडगढ।(जिसका विवाद अध्यक्ष, श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल कर्मचारी संघ, इंटक,मंडफिया, तह0–भदेसर,जिला चितौडगढ द्वारा उठाया गया है) को नियोजक सं0 (1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी,सांवलिया जी मंदिर मंडल बोर्ड, मंडफिया श्री सांवलिया जी मंदिर, मंडफिया, चितौडगढ द्वारा पर्याप्त समय उपरांत भी स्थाई घोषित नहीं किया जाना उचित एवं वैध नहीं है। प्रार्थी नियुक्ति तिथि से दो वर्ष की सेवा पूर्ण होने की तिथि से स्थाई घोषित होने व

तदनुसार देय लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी, विपक्षी सं0 दो व तीन से कोई राहत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

प्रार्थी को पंचाट प्रकाशित होने की तिथि से तीन माह के भीतर तदनुसार लाभ प्रदान किया जायें।

पंचाट की प्रति राज्य सरकार को प्रकाशनार्थ भेजी जाये।

(पंकज बंसल) .
न्यायाधीश,
औद्योगिक न्यायाधिकरण .
एवं श्रम न्यायालय, भीलवाड़ा।

पंचाट आज दिनांक 18.06.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज बंसल) .
न्यायाधीश,
औद्योगिक न्यायाधिकरण .
एवं श्रम न्यायालय, भीलवाड़ा।